राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः 136 / 2025
जीसीएमएस संख्याः 2025 / 247
निर्णय दिनांकः 31.10.2025
दायर दिनांकः 17.07.2025

1. नरेन्द्र पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत ग्राम तेलाप तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
2. बजरंगसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत ग्राम तेलाप तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
3. मदनसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत ग्राम तेलाप तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
4. मालुकंवर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत ग्राम तेलाप तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

...............प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट एवं 88 आरटी एक्ट

उपस्थिति

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री रमेशकुमार बिस्सु।
2. राज पैरोकार।

–ःनिर्णयः–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं धारा 88 आरटी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी खेत वाके रोही ग्राम तेलाप तहसील सुजानगढ़ में खाता संख्या 119 के खेत खसरा नम्बर 376 / 138 तादादी 2.6428 है0 व खसरा नं0 378 / 305 तादादी 3.3888 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम भैंरूसिंह अंकित है। जो अशुद्ध है, जबकि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम भंवर सिंह है।

प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थीगण को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण रिकॉर्ड दुरस्त करवाना आवश्यक है।

प्रश्नगत खेत रोही तेलाप तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम भैंरूसिंह दर्ज है जो गलत है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तोवजों में प्रार्थीगण के पिता का सही नाम भंवरसिंह है जो सही है। भैंरूसिंह व भंवरसिंह एक ही व्यक्ति के नाम है। तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में भैंरूसिंह की बजाय भंवर सिंह दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड आदि में प्रार्थीगण के पिता का नाम भंवरसिंह अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–:आदेशः–

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम निम्नानुसार दुरूस्त किया जाए।

क्रं. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	तेलाप	119	भैंरूसिंह	भंवर सिंह

रहन की प्रविष्टी (यदि कोई हो तो) यथावत रहेगी। अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को टंकित करवाया जाकर सरे आम इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़